

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-309/16 श्र0सं0- 99  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर/मुजफ्फरपुर ।

पटना, दिनांक :- 4.11.16.

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-पी 2230011140102) राज्य योजना स्कीम कोड-LAB-5234 के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2204 दिनांक-19.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च 2017 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	बक्सर	01	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-320, दिनांक-22.10.16 के आलोक में मृतक स्व० विनोद कुमार यादव, आश्रित-मु० गौरी देवी(पत्नी) ग्रा.-अरियाँव (नाटा डेरा), पो.-अरियाँव, थाना-कृष्णाब्रहम, प्रखंड-डुमराँव, जिला-बक्सर के भुगतान हेतु।
2	मुजफ्फरपुर	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-607 एवं 608 दोनों दिनांक-18.10.16 के आलोक में (1) मृतक-स्व० मो० महताव आलम, आश्रित-मु० शहजादी बेगम(पत्नी) ग्राम-महिमा गोपीनाथपुर, थाना+प्रखंड-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर (2) मृतक-स्व० कपल सहनी, आश्रित-मु० सरस्वती देवी(माता) ग्राम-मदारीपुर कर्ण, पो०-रामपुर हरि प्रखण्ड-मीनापुर, जिला - मुजफ्फरपुर के भुगतान हेतु।
	कुल	03		300000/-	


कुल आवंटित राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय । भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैंक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।


3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,  
  
 (गोपाल मीणा)  
 श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/16 श्र0सं0- 99 पटना, दिनांक 4.11.16  
 प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
 (गोपाल मीणा)  
 श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/16 श्र0सं0-


99

पटना, दिनांक- 4.11.16

\*स्पीड  
पोस्ट

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/  
 \*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/आई०टी०मैनेजर,  
 श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै०सं०प्रे०सं०-320(श्रम पक्ष) दिनांक-27.10.16 के आलोक में/प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

  
 (गोपाल मीणा)  
 श्रमायुक्त, बिहार।